[2019] 6 एस. सी. आर. 518

जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & एक और

वी.

शिवनाथ और अन्य

(2007 की सिविल अपील सं. 2176)

अप्रैल 09,2019

[आर. भानुमति और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे.]

सूटः द्वारा दायर अधिकार और अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा

प्रत्यर्थियों-वादियों-मुकदमे ने इस आधार पर विरोध किया कि मुकदमे की भूमि प्रत्यर्थी द्वारा छोड़ दी गई थी-वादी और पट्टा अपीलार्थियों के हित में पूर्ववर्ती को जारी किया गया था-प्रतिवादियों की निचली अदालत ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पट्टा-पट्टा (Ex. D.-20) के संबंध में

इलाकीदार द्वारा प्रतिवादियों को वाद भूमि जारी की गई थी और तब से वे उसी के कब्जे में थे और यह भी अभिनिर्धारित किया कि वादी ने राजस्व अभिलेखों में अपने नामों की प्रविष्टियां पटवारियों की मिलीभगत से प्राप्त की थीं-पहली अपीलीय अदालत ने एक्स. डी.-20 की शुद्धता पर संदेह करते हुए वाद का फैसला सुनाया-दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने पहली अपीलीय अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि की-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः स्वामित्व और अधिकार के लिए एक मुकदमे में, वादी केवल अपने स्वयं के अधिकार के बल पर सफल हो सकते हैं न कि प्रतिवादियों के मामले की कमजोरी पर।

उत्तरदाताओं ने अपना नाम स्थापित करने के लिए-वे अपने नाम को साबित करने के लिए शीर्षक दस्तावेज या कोई अन्य सबूत पेश करने में विफल रहे हैं-मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से उस पट्टा-पट्टा (Ex. D. 20) बचाव पक्ष के हित में पूर्ववर्ती को जारी किया गया था और वे मुकदमे की भूमि के निरंतर कब्जे में थे-निचली अदालत ने

सही ढंग से मुकदमा खारिज कर दिया।

भारत का संविधानः

कला. 136 - विशेष अनुमति याचिका-तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष-हस्तक्षेप-आयोजितः समवर्ती खोज तथ्य में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि सम्मोहक द्वारा वारंट नहीं किया जाता है जब नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्ष विकृत होते हैं,

तथ्य के निष्कर्षों के साथ कारणों का हस्तक्षेप आवश्यक है।

518 जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

एस. 58 प्रोविसो-स्वीकार किए गए तथ्य-क्या साबित करने की आवश्यकता हैः एस. 58 माना जाता है कि स्वीकार की गई चीजों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है हालांकि, एस के लिए परंतुक। 58 अदालत को स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता के लिए पूरा विवेकाधिकार देता है।

एस. 90 - अनुमान-किसी दस्तावेज की वास्तविकता के बारे मेंः अदालत यह 'मान सकती है' कि दस्तावेज़ वास्तविक है केवल धोखाधड़ी का आरोप इस तरह की धारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

या. एक्सएलआई, आर। 27 – अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना-जब अनुमति हो-चर्चा की गई।

कार्य और दस्तावेज़ः

राजस्व प्रविष्टियाँ-गोपनीय मूल्य-आयोजितः कुछ खतौनियों के लिए राजस्व प्रविष्टियाँ स्वामित्व का प्रमाण नहीं हैं, बल्कि उनके लिए केवल बयान हैं।

आय का उद्देश्य।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील में, समवर्ती निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि

बाध्यकारी कारणों से समर्थनीय। जब प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत दिखाया जाता है, तो यह न्यायालय निश्चित रूप से तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करेगा।

उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित। [पैरा 10] [530-ई]

महेश दत्तात्रेय तीर्थकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 11 एससीसी 141: [2009] 3 एस. सी. आर. 1122-निर्भर।

2. प्रत्यर्थियों का मुकदमा-वादी मुकदमा भूमि पर अपने अधिकार की घोषणा और इसके परिणामी वितरण के लिए था

सूट भूमि। मालिकाना हक की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने के बाद, वादी अपने मालिकाना हक को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करके ही अपने मुकदमे में सफल हो सकते थे। लेकिन वादी ने अपने पिता को दिए गए पट्टा को पेश नहीं किया है। [पैरा 13] [531-डी]

3. लिखित बयान में, प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि वादी-उत्तरदाताओं के पिता पट्टेदार और पट्टा-पट्टा [2019] 6 एस. सी. आर. थे।

मूल रूप से बटाई/फसल-बंटवारे के आधार पर खेती के लिए निपटान अवधि के दौरान उनके पक्ष में दिया गया था। [पैरा 14]

[531 - एच; 532-ए]

नागिंदास रामदास बनाम। दलपतराम इच्छाराम उर्फ बृजराम और अन्य (1974) 1 एस. सी. सी. 242: [1974] 2 एस. सी. आर. 544; कार्यकारी अधिकारी, अरुलमिगु चोक्कनाथ स्वामी कोइल

ट्रस्ट, विरुधुनगर बनाम। चंद्रन और अन्य

(2017) 3 एससीसी 702: [2017] 5 एस. सी. आर. 473 संदर्भित है।

4. साक्ष्य अधिनियम की धारा 58, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वीकार की गई बातों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, परंतुक

साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 अदालत को पूर्ण विवेकाधिकार देती है कि वह स्वीकार किए गए तथ्यों को इस तरह के स्वीकार के अलावा अन्यथा साबित करने की अपेक्षा करे। जब प्रतिवादी-वादी ने अपने अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया है, तो प्रतिवादी-वादी नहीं कर सकते हैं। लिखित कथन में कुछ वाक्यों को अलग करें और लिखित कथन के केवल उन हिस्सों का लाभ उठाएं जो उनके लिए अनुकूल हैं। अपीलार्थियों-प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। लिखित बयान में, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवाद किया कि भूमि 'आर' के स्वामित्व में थी

समझौते का समय, लेकिन क्योंकि वह स्वयं खेती करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए भूमि उत्तरदाताओं के पिता-वादियों को बटाई/फसल-बंटवारे के आधार पर खेती के लिए दी गई थी। यह आगे कहा जाता है कि तत्कालीन हलकेदार

विवादित भूमि के संबंध में पट्टा रद्द कर दिया गया और उनकी नीलामी की गई जिसमें प्रतिवादी के पिता की बोली स्वीकार कर ली गई और विवादित भूमि को संवत 1986 यानी 1929 ईस्वी में बिक्री में उनके नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया। वादी के पिता के पट्टे के बारे में प्रतिवादियों की स्वीकृति पहले वादी के पूर्वजों के पक्ष में दी गई पट्टा थी।

यह साबित करने का भार प्रत्यर्थियों-वादियों पर है कि पट्टा पट्टा उनके पक्ष में बना हुआ है और वे पट्टा के धारक हैं और वे मुकदमे की संपत्तियों के निरंतर कब्जे में हैं। [पैरा 15] [532-ई-एच; 533-ए-बी] 5. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयान से यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-1 के पिता ने चालीस साल पहले जगदिश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर जबलपुर में रहना शुरू कर दिया था।

एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस।

मुक़दमे की स्थापना से पहले और वहाँ बस गए। पेश किए गए साक्ष्य के आलोक में, निचली अदालत ने प्रतिवादियों के मामले को सही ढंग से स्वीकार कर लिया कि संवत 1986 (1929 ईस्वी) में, पवनदार द्वारा मुकदमे की भूमि और अन्य भूमि के पट्टे के लिए आयोजित नीलामी में, उनके दादा की बोली स्वीकार कर ली गई थी और मुकदमे की संपत्तियों के साथ-साथ अन्य भूमि उन्हें पट्टे पर दी गई थी। यदि प्रतिवादियों-वादियों के पिता द्वारा भूमि को इस तरह से नहीं छोड़ा जाता, तो पवईदार के लिए वाद भूमि के पट्टे की नीलामी करना और प्रतिवादियों के दादा के पक्ष में भूमि का पट्टा देना संभव नहीं होता। [पैरा 16] [533-सी]

6. अपीलार्थियों का मामला-प्रतिवादी कि संवत 1986 (1929 ई.) में, मुकदमे के पट्टे के लिए पवईदार द्वारा आयोजित नीलामी में

भूमि और अन्य भूमि, सूट संपत्तियों के साथ अन्य भूमि उनके दादा को पट्टे पर दी गई थी

राजस्व अभिलेख और पर्याप्त साक्ष्य। Ex. डी-20 [प्रतिवादियों के दादा के पक्ष में पट्टा] तीस साल पुराना दस्तावेज़ होने के कारण इसकी वास्तविकता के बारे में अनुमान को जन्म देता है। का आशय

प्रतिवादी-वादी यह है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 में है

दस्तावेज़ की वास्तविकता के बारे में जो तीस साल पुराना है। धारा 90 में कहा गया है कि अदालत यह "मान सकती है" कि दस्तावेज़ वास्तविक है। चूँकि पट्टा [Ex. D-20] तीस वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए धारा 90 इस बारे में अनुमान लगाती है कि दस्तावेज़ की प्रामाणिकता। केवल धोखाधड़ी के आरोप साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उठाए गए अनुमान का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। [पैरा 17-19] [533-F; 534-C-E]

7. केवल वर्षों के लिए खसरा की प्रतियाँ 1955-56 (उदा. पी 9) और 1956-57 (उदा. पी-10) उत्तरदाताओं के नाम पर हैं

वादी; और पिछले खसराओं में 1950-51 से 1954-55 (Ex. पी-8) और 1960-61 के लिए बाद के खसरा (उदा. पी 12), 1963-64 से 1965-66 (एक्स। पी-13), 1968-69 (उदा. पी-14) और 1970 71 से 1975 (उदा. डी-2), प्रविष्टियाँ अपीलार्थियों के पिता-प्रतिवादियों के नाम पर हैं। पट्टा इसके पक्ष में दिया गया था

प्रतिवादियों के दादा और यह कि वे और प्रतिवादियों के पिता लगातार संपत्तियों के कब्जे में थे, इस प्रकार है राजस्व अभिलेखों द्वारा स्थापित। [पैरा 20] [535-एफ-जी] [2019] 6 एस. सी. आर.

8. अपीलार्थियों द्वारा कई वर्षों तक प्रस्तुत किए गए राजस्व अभिलेख अपीलार्थियों के मामले को काफी मजबूत करते हैं। डी-20) उन्हें दिया गया था और यह कि वे कई वर्षों से मुकदमे की संपत्तियों के कब्जे में हैं। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि उत्तरदाताओं के पिता-वादियों ने मुकदमे की संपत्तियों को छोड़ दिया है,

जिसके अनुसार, नीलामी पवईदार और पट्टे द्वारा आयोजित की गई थी

इलाकीदार द्वारा अपीलार्थी प्रतिवादी के दादा के पक्ष में जारी किया गया था और यह कि वह मुकदमे की संपत्तियों के निरंतर कब्जे में था। प्रत्यर्थियों-वादियों ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि पूर्व। डी-20 जाली है। वास्तव में, प्रत्यर्थियों ने स्वयं अपीलार्थियों-प्रतिवादियों के पक्ष में दिया गया पट्टा दायर किया है। [पैरा 22 और 23] [535-डी-ई; एफ-जी]

9. अपीलार्थियों के पक्ष में लगातार होने वाली प्रविष्टियों को केवल दो वर्षों यानी 1955-56 और 1956-57 के लिए उत्तरदाताओं के पक्ष में प्रविष्टियों की वरीयता में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, कई मौकों पर राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए निष्कर्षों के आलोक में, उत्तरदाताओं के नाम की उक्त प्रविष्टियों को वास्तविक नहीं कहा जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय पूर्व को दरकिनार करने में सही नहीं थे। पी-21 (एक्स. डी.-20) पट्टा अपीलार्थियों के नाम पर दिया गया और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे राजस्व निरीक्षक (एक्स. पी-3) जो नोट करता है कि पट्टा इल्लाका अपीलार्थियों के दादा के नाम पर है और राजस्व में कई प्रविष्टियाँ हैं। अभिलेख अपीलार्थियों के नाम पर हैं। प्रत्यर्थियों-वादियों द्वारा प्रस्तुत विरोधाभासी साक्ष्य के अभाव में, निचली अदालत ने सही निर्णय दिया कि अपीलकर्ताओं के पास मुकदमे की संपत्तियों का निरंतर कब्जा रहा है और प्रतिवादी मुकदमा दायर करने से पहले मुकदमे की संपत्तियों पर अपना अधिकार साबित करने में विफल रहे हैं। [पैरा 24] [536-सी-ई]

10. आई. डी. 1 दिनांकित आयुक्त के आदेश और अन्य राजस्व प्राधिकरणों की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादी-उत्तरदाताओं ने पटवारियों की मिलीभगत से राजस्व प्रविष्टियों में अंतर्वेशन किया है और अपने नाम पर राजस्व प्रविष्टियां दर्ज कराई हैं। उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आयुक्त के पूर्व-डी-1 आदेश पर अपने उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं करने में गलती की।

[पैरा 26] [538-बी] जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस।

11. आदेश एक्स. एल. आई. नियम 27 सी. पी. सी. के तहत, अतिरिक्त साक्ष्य के उत्पादन की अनुमति है, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, केवल इसके तहत

तीन परिस्थितियाँ जो इस प्रकार हैं: (I) जहां विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, हालांकि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए था; (II) उचित परिश्रम करने के बावजूद पक्ष को साक्ष्य उपलब्ध नहीं था; और (III) अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता थी ताकि वह निर्णय देने में सक्षम हो सके।

या समान प्रकृति के किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए। यदि अपीलार्थी सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने में मेहनती नहीं था तो अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निचली अदालत में। हालांकि, न्याय के हित में और जब संतोषजनक कारण दिए जाते हैं, तो अदालत अतिरिक्त प्राप्त कर सकती है।

दस्तावेज़। [पैरा 28] [539-सी-ई]

भारत संघ बनाम। इब्राहिम उद्दीन एंड अदर, (2012) 8

एस. सी. सी. 148 [2012] 8 एस. सी. आर. 35-पर निर्भर था।

करेवा और अन्य बनाम। हुसैनसब खानसाहब वजंत्री और अन्य (2002) 10 एस. सी. सी. 315; रूप चंद बनाम। गोपी चंद थेलिया (1989) 2 एससीसी 383 [1989] 2 एससीआर 184

संदर्भित किया गया।

-

12. वर्तमान मामले में, न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में तहसीलदार के दिनांकित 28.07.1971 के आदेश को प्राप्त करने के लिए इच्छुक है।

तहसीलदार के दिनांक 28.07.1971 के आदेश से, यह देखा जाता है कि उस पर आवेदक (अपीलकर्ता) ने कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वह भूमि संख्या 131,151,161,162,163,41 का भूमि स्वामी-कृषक था और भूमि पर उसका कब्जा रहा है और गैर-आवेदक (प्रतिवादी वादी) ने राजस्व प्रविष्टियों में अपने नाम दर्ज कराए हैं।

एस. डी. ओ. दिनांक 21.10.1969, तहसीलदार ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि संख्या 41,131,162,163 के संबंध में गैर-आवेदकों के कब्जे के संबंध में प्रविष्टि बाद में की गई थी। [पैरा 30] [540-जी-एच; 541-ए-बी] 13. यह कहना गलत है कि तहसीलदार के दिनांकित 28.07.1971 के आदेश को इस आधार पर नहीं देखा जा सकता है कि वे [2019] 6 एस. सी. आर. थे।

विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। आयुक्त का आदेश, जिसे पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया है। डी-1 तहसीलदार के दिनांकित 28.07.1971 के आदेश का स्पष्ट संदर्भ देता है। चूँकि एक्स. डी.-1 (17.07.1973) में तहसीलदार के दिनांकित 28.07.1971 के आदेश का संदर्भ है, इसलिए इसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाता है। द. तहसीलदार के दिनांकित 28.07.1971 के आदेश का मुकदमे के मुख्य मुद्दे पर सीधा असर पड़ता है और न्याय के हित में, इसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। पूर्व के बाद से। डी-1 तहसीलदार के आदेश का संदर्भ देता है, तहसीलदार के दिनांकित 28.07.1971 के आदेश को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है

अतिरिक्त दस्तावेज और उसी पर विचार करना। [पैरा 31]

[541 - एच; 542-ए-डी]

14. चूंकि तहसीलदार के आदेश को आयुक्त के दिनांक 17.07.1973 (Ex. D-1) के आदेश में संदर्भित किया गया है, इसलिए इसका प्रभाव नए मामले को लागू करने की आवश्यकता पर नहीं पड़ेगा।

मामले का प्रेषण। जहाँ तक अन्य दो अतिरिक्त दस्तावेज, अर्थात् नायब तहसीलदार का दिनांक 2 का आदेश-एम. पी. भूमि राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत दायर मुकदमे में पारित आदेश और दिनांक 1 का जिला कलेक्टर का आदेश, वे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। [पैरा 31] [542-डी-ई]

15. प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्षों पर विचार नहीं करने में गलती की

16. पहली अपीलीय अदालत का यह निष्कर्ष कि पट्टा अपीलार्थी के दादा-प्रतिवादियों को 1954 में दिया गया था और यह गलत धारणा है कि इलाकेदार पट्टा जारी करने में सक्षम नहीं था।

पट्टा 1954 में नहीं बल्कि संवत 1986 (1929 ई.) में दिया गया था जब माना जाता है कि इलाकेदार के पास ऐसी शक्ति थी। इसके अलावा, इस प्रकार दिए गए पट्टा की वैधता के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है

डी. डब्ल्यू.-1 [प्रतिवादी के पिता] की आयु के बारे में निष्कर्ष निकाला गया। विंध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा जागीर भूमि के किसी भी वर्ग को फिर से शुरू करने के लिए एक तारीख निर्धारित की है और इस तरह के फिर से शुरू होने के परिणाम निर्धारित किए गए हैं उक्त अधिनियम की धारा 6 में।

उक्त जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर की धारा 28 के संदर्भ में। एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस।

अधिनियम, अपीलार्थी जो तब तक मध्यस्थ/जागीरदार के किरायेदार थे, उन्हें उक्त भूमि के संबंध में पट्टेदार किरायेदार माना जाएगा। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पहली अपीलीय अदालत ने यह कहते हुए गलती की कि पट्टा वर्ष 1954 में दिया गया था और उस समय तक, पवईदार/इलाकेदार के पास नहीं था पट्टा जारी करने का अधिकार क्षेत्र। [पैरा 39] [545-एफ-एच; 546-ए-डी]

17. प्रथम अपीलीय न्यायालय पूर्व की शुद्धता पर संदेह करने में सही नहीं था। डी-20 और यह अवलोकन करना सही नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित पर स्वामित्व का कानूनी अधिकार नहीं है। भूमि। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आयुक्त के दिनांक <आई. डी. 2 के पूर्व-डी.-1 आदेश और दिनांक <आई. डी. 1 के तहसीलदार के आदेश और अपीलकर्ताओं के दादा-प्रतिवादियों के नाम पर पट्टा/पट्टा के अनुदान को दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया।

अधिकार। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आयुक्त द्वारा दिनांक 17.07.1973 में दर्ज किए गए निष्कर्षों को दरकिनार करते हुए गलती की, जिसमें निर्माण में पटवारियों के कदाचार के बारे में बताया गया था।

राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियाँ। [पैरा 40] [546-एफ-एच; 547-ए] 18. स्वामित्व और अधिकार की घोषणा के मुकदमे में, वादी-उत्तरदाता केवल अपने अधिकार के बल पर ही सफल हो सकते हैं।

स्वयं का अधिकार और न कि प्रतिवादी अपीलार्थियों के मामले की कमजोरी पर। भार वादी-उत्तरदाताओं पर है कि वे मुकदमे की संपत्तियों पर अपना अधिकार स्थापित करें ताकि यह दिखाया जा सके कि वे घोषणा के लिए एक डिक्री के हकदार हैं। वादी-उत्तरदाताओं ने न तो स्वामित्व दस्तावेज यानी पट्टा-पट्टा प्रस्तुत किया है, जिस पर वादी-उत्तरदाता भरोसा कर रहे हैं और न ही कोई अन्य सबूत पेश करके अपना अधिकार साबित किया है। उनके द्वारा भरोसा की गई राजस्व प्रविष्टियों को भी वास्तविक नहीं माना जाता है। किसी भी स्थिति में, कुछ खतौनियों के लिए राजस्व प्रविष्टियां स्वामित्व का प्रमाण नहीं हैं; बल्कि केवल हैं।

राजस्व उद्देश्य के लिए विवरण। वे अपनी उपाधि साबित करने के लिए उन पर निर्भर पार्टी को कोई अधिकार या उपाधि प्रदान नहीं कर सकते हैं। [पैरा 41] [547-बी-डी]

भारत संघ और अन्य बनाम। वासवी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य (2014) 2 एससीसी

269 [2014] 1 एस. सी. आर. 180-पर निर्भर।

19. साक्ष्य के मूल्यांकन पर, निचली अदालत ने

विभिन्न मुद्दों पर दर्ज किए गए निष्कर्ष जिन्हें [2019] 6 एस. सी. आर. द्वारा उलट दिया गया था।

प्रथम अपीलीय न्यायालय। चूंकि पहले अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उलट दिया था, इसलिए दूसरी अपील में उच्च न्यायालय को साक्ष्य और सामग्री पर विचार करना चाहिए था। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश मुख्य रूप से इस आधार पर है कि पट्टा को छोड़ने या रद्द करने के किसी भी आदेश के अभाव में

प्रत्यर्थी-वादी, के पक्ष में पट्टा (Ex. D-20) का अनुदान अपीलार्थी-प्रतिवादी अवैध थे। उच्च न्यायालय ने पूर्वजों के पक्ष में दिए गए पट्टा (Ex. D-20) की सराहना नहीं की।

1929 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थियों की रिपोर्ट और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 05.10.1969। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आयुक्त के दिनांक 17.07.1973 के पूर्व-डी.-1 आदेश और दिनांक 21.10.1969 की एस. डी. ओ. की रिपोर्ट और अन्य राजस्व रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया। कि अपीलार्थियों के पूर्वज-प्रतिवादी अर्थात् गया दिन को पट्टा (Ex. D.-20) दिया गया था और तब से, वह और उसका

वंशजों के पास संपत्तियों का अधिकार था। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री की उचित रूप से सराहना नहीं की है और विवादित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है। [पैरा 42] [547-एफ-एच; 548-ए-बी]

मामला कानून संदर्भ

[2009] 3 एससीआर 1122

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[1974] 2 एससीआर 544

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2017] 5 एससीआर 473

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

(2002) 10 एस. सी. सी. 325

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[1989] 2 एससीआर 184

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[2012] 8 एससीआर 35

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[2014] 1 एस. सी. आर. 180 संदर्भित

पै

रा 41

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2176

2007 से।

उच्च न्यायालय के 05.02.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1989 की दूसरी अपील संख्या 174 में जबलपुर में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर।

एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस।

सुबोध मार्कण्डेय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुरेश सी. गुप्ता, बीरेंद्र कुमार मिश्रा, सुश्री पूनम एटे, राहुल अग्रवाल, अमित प्रताप सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

ए. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अक्षत श्रीवास्तव, श्रीमती पूजा श्रीवास्तव, सुश्री मंजीत कृपाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे.

यह अपील जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों द्वारा दायर 1989 की दूसरी अपील को खारिज करते हुए पारित किए गए दिनांक 05.02.2007 के फैसले से उत्पन्न होती है, जिससे अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई दूसरी अपील No.174 की पुष्टि होती है।

सिविल अपील-ए/85 में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय यह अभिनिर्धारित करता है कि प्रत्यर्थियों-वादियों के पूर्वजों को दिए गए पट्टा को त्यागने या निरस्त करने के किसी भी आदेश के अभाव में, अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों के पक्ष में पट्टा देना अवैध था और अपीलकर्ता प्रतिवादी मुकदमे की संपत्तियों पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

2. उत्तरदाताओं का मामला-वादी निम्नानुसार हैः - उत्तरदाता शिव नाथ और दिवंगत विश्वनाथ/पूर्ववर्ती के हित में

उत्तरदाता संख्या 2 से 10 ने खसरा संख्या 41-1.39,131-2.70,162-0.17,163-3.92 और 164 2.15 किटा 5 कुल क्षेत्रफल 10.33 ग्राम बैरथ जनरल No.782, तहसील गोपद बनास में स्थित है और अपीलकर्ताओं के पिता हनुमान दीन के खिलाफ खसरा No.164 को छोड़कर सभी खसरा संख्या के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। राम सहाय और रामेश्वर-वादियों के पिता खसरा संख्या में भूमि के संयुक्त पट्टेदार थे। 41 , 131 , 132 , 136/13 , 135 , 134/4 , 137/27 , 140 / 11 , 142/2 , 143 , 146 , 147 , 162 , 163/25 , 164/4 और कुल 257 एकड़ जमीन और उनके नाम उपरोक्त के 'पट्टेदारों' के रूप में शामिल किए गए थे।

बस्ती के दौरान भूमि और वे चालीस साल पहले तक भूमि पर खेती करते रहे जब दोनों और दोनों के बीच विभाजन हुआ। उनमें से प्रत्येक आधे हिस्से के मालिक बन गए। हनुमान दीन ने कभी भी भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं किया और न ही सूट भूमि पर उनका कोई अधिकार या हक था; लेकिन अपीलकर्ताओं के दादा-गया दीन को एक अधिकार मिला।

उत्तरदाताओं की विवादित भूमि में पट्टा जो के अनुसार उत्तरदाता एक जाली दस्तावेज है। उपरोक्त पट्टे के आधार पर, गया दिन ने विवादित भूमि के खतौनियों के संबंध में अपना नाम खतेदार के रूप में दर्ज कराया।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. उत्तरदाता-मृत विश्वनाथ-पूर्ववर्ती-उत्तरदाता संख्या 2 से 10 के हित में-अगस्त में कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

1969 यह कहते हुए कि विवादित भूमि का पट्टा इलाकेदार द्वारा गया दिन के नाम पर गलत तरीके से जारी किया गया था और गया दिन के नाम पर अभिलेखों को रद्द करने की कार्यवाही शुरू की जाए। मामला जांच के लिए राजस्व निरीक्षक को भेजा गया था, जिन्होंने विवादित भूमि के स्वामित्व के संबंध में उत्तरदाताओं के पक्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कलेक्टर ने इसे मंजूरी देने के बाद रिपोर्ट दर्ज की। हनुमान दीन द्वारा शुरू की गई धारा 145 Cr.P.C के तहत विविध मामले No.351/142/69 में उप-मंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही में, उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने हनुमान दीन को खसरा संख्या में भूमि के कब्जे में पाया। 162 और 163 और उत्तरदाताओं को खसरा No.164 में भूमि के कब्जे में पाया गया। प्रत्यर्थियों-वादियों ने आरोप लगाया कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, हनुमान दीन ने जबरन खसरा में भूमि पर कब्जा कर लिया और इसलिए, प्रत्यर्थियों ने घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया।

4. हनुमान दीन ने इस मुकदमे का विरोध करते हुए कहा कि प्रतिवादी कभी भी विवादित भूमि के स्वामित्व या कब्जे में नहीं रहे हैं

और भूमि एक रामराज सिंह की थी, लेकिन वह भूमि पर खेती नहीं कर रहा था और उसे उत्तरदाताओं के पूर्वजों को बटाई-फसल बंटवारे के आधार पर खेती के लिए दे रहा था और केवल इसी वजह से, निपटान के समय उनके नाम पर पट्टा दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने आगे कहा कि प्रत्यर्थियों के पिता ने भूमि को छोड़ दिया और चूंकि राजस्व कर का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसलिए विवादित भूमि का खाता रद्द कर दिया गया था। अपीलार्थियों-प्रतिवादियों का मामला यह है कि पवनदार द्वारा वाद भूमि और अन्य भूमि के पट्टे के लिए की गई नीलामी में गया दिन की बोली स्वीकार कर ली गई थी और इस संबंध में, संवत 1986 (1929 ईस्वी) में उनके नाम पर पट्टा जारी किया गया था। अपीलार्थियों के पास मुकदमे की संपत्तियों का निरंतर कब्जा था और यह खतौनी और अन्य राजस्व अभिलेखों में परिलक्षित होता है।

5. निचली अदालत ने दिनांक आई. डी. 1 के फैसले के माध्यम से प्रतिवादियों के मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गया दिन मुकदमे की भूमि के संबंध में पट्टा-पट्टा (एक्स. डी.-20) रखता रहा है और 1950 से विवादित भूमि पर लगातार कब्जा कर रहा है और उसके बाद हनुमान दीन के कब्जे में था। आयुक्त (एक्स. डी.-1) के आदेशों का उल्लेख करने के बाद, निचली अदालत ने कहा कि आयुक्त ने इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रत्यर्थियों ने जगदीश प्रसाद पटेल (डी. ई. ए. डी.) टी. एच. आर. में प्रविष्टियां की थीं।

एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.]

तीस साल की उम्र असली है। विभिन्न खसराओं का उल्लेख करने के बाद और अपीलार्थी के पिता के नाम की प्रविष्टियों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी के पिता हनुमान दीन के पास 1950 या उससे पहले से वाद भूमि का कब्जा है। निचली अदालत ने आगे कहा कि मुकदमा 17.10.1975 पर दायर किया गया था जो बारह साल से अधिक है और मुकदमा समय द्वारा वर्जित है।

6. अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने दिनांकित 03.04.1989 के फैसले के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि समझौते के समय, पट्टा में दिया गया था प्रत्यर्थियों के पिता का नाम और इस पर अपीलकर्ताओं द्वारा विवाद नहीं किया गया है और अपीलार्थी का परित्याग स्थापित नहीं कर सके

प्रत्यर्थियों के पिता द्वारा भूमि और इसलिए, प्रत्यर्थियों को वाद संपत्तियों के मालिकों के रूप में माना जाना चाहिए। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत पट्टा एक्स. डी.-20 को वैध नहीं ठहराया जा सकता है और प्रत्यर्थियों को दिए गए पट्टा को निरस्त करने के आदेश के अभाव में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि एक्स. डी.-20

विवादित भूमि पर अपीलार्थियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल हनुमान दीन द्वारा पट्टा-पट्टा-20 प्रस्तुत किए जाने के कारण, यह साबित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि हनुमान दीन को विवादित भूमि पर स्वामित्व का कानूनी अधिकार है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नोट किया कि आयुक्त के पूर्व-डी-1-आदेश के आधार पर, अपीलार्थियों द्वारा वाद संपत्तियों का कब्जा साबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी या उनके पूर्वज उक्त कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे। इन निष्कर्षों पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया और कहा कि प्रतिवादी विवादित भूमि के मालिक हैं और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी खसरा संख्या में भूमि पर कब्जा करने के हकदार हैं। 41 , 131 , 162 और 163 अपीलार्थियों के पिता से।

7. दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय ने पहले अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की और कहा कि मुकदमा दर्ज किया गया था

प्रत्यर्थियों के पिताओं का नाम और यह कि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं था कि उन्होंने भूमि का कब्जा छोड़ दिया है या इलाकीदार के पक्ष में आत्मसमर्पण कर दिया है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि पट्टा-पट्टा-एक्स. डी.-20, [2019] 6 एस. सी. आर. के दादा के पक्ष में दिया गया था।

अपीलार्थियों, अपीलार्थियों ने इलाकीदार के पक्ष में भूमि के परित्याग को साबित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है और पट्टा (Ex. D.-20) के आधार पर अपीलार्थियों को कोई अधिकार अर्जित नहीं किया है। पीड़ित होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने इस अपील को प्राथमिकता दी है। 8. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुबोध मार्कण्डेय-प्रतिवादियों और विद्वान वरिष्ठ श्री ए. के. श्रीवास्तव को सुना है।

उत्तरदाताओं के लिए वकील-वादी। हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है और नीचे दिए गए न्यायालयों के विवादित निर्णय और निर्णय और अभिलेख पर अन्य सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

9. विचार के लिए मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने में सही था

यह देखते हुए कि प्रत्यर्थियों-वादियों को दिए गए पट्टा को त्यागने या निरस्त करने के किसी भी आदेश के अभाव में, 1929 में अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में पट्टा (पूर्व सं. 20) का अनुदान अवैध था और अपीलकर्ता-प्रतिवादी पूर्व सं. 20 और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते। 10. उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय का समवर्ती निष्कर्ष है। हम इस बात से अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील में, समवर्ती निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि

सम्मोहक कारण। जब प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत दिखाया जाता है, तो यह न्यायालय निश्चित रूप से उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करेगा। [महेश दत्तात्रेय तीर्थकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 11 एससीसी 141]

11. प्रतिवादी-वादी-शिव नाथ और मृतक विश्वनाथ ने गाँव बैरथ जनरल No.782, तहसील गोपद बनास में स्थित खसरा संख्या 41-1.39,131-2.70,162-0.17,163-3.92 और 164-2.15 कुल क्षेत्र 10.33 पर मालिकाना हक की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया, इस दलील पर कि उनके पिता के पक्ष में पट्टा/पट्टा जारी किया गया था और उनके नाम निपटान के दौरान सूट भूमि के 'पट्टेदारों' के रूप में शामिल किए गए थे और वे चालीस वर्षों से भूमि पर खेती कर रहे हैं। जब दोनों के बीच विभाजन हुआ और दोनों शिव नाथ और मृतक विश्वनाथ आधे-आधे हिस्से के मालिक बन गए।

जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.]

12. अपीलकर्ता-प्रतिवादियों ने यह तर्क देते हुए मुकदमे का विरोध किया कि राम राज सिंह भूमि के मूल मालिक थे, लेकिन वे नहीं थे

पट्टा का आधार Ex. D-20 (Ex. पी-21) जो संवत 1986 (1929 ई.) में उनके पक्ष में जारी किया गया था और कहा गया था कि तब से वे विवादित भूमि का कब्जा।

13. प्रत्यर्थियों-वादियों का मुकदमा वाद भूमि पर अपने अधिकार की घोषणा और वाद भूमि के परिणामी वितरण के लिए है। होने के नाते

रामेश्वर कुर्मी को भूमि संख्या 51/1.38,162/1.17,163/372,164/2.65 और 131/2.70 के मालिकों के रूप में दर्ज किया गया है। यह आगे कहा गया कि उपरोक्त संख्याओं का पट्टा इल्लाका में पंजीकृत पाया गया है गया दिन का नाम। Ex. P-3-रिपोर्ट में Ex. D-20-पट्टा में प्रविष्टियों को इस प्रभाव से नोट किया गया है कि पट्टे के संबंध में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।

तहसीलदार द्वारा आधिकारिक अभिलेख में जारी आदेश No.146/1960 दिनांक 21.11.1960 के अनुसार उचित निरीक्षण के बाद दिया गया है और संबंधित पटवारियों द्वारा 10.01.1961 पर खसरा में प्रविष्टि पाई गई है।

14. अपने साक्ष्य में, पीडब्लू-1 ने कहा है कि पट्टा पट्टा उनके पिता के नाम पर जारी किया गया था। अपने लिखित बयान में प्रतिवादी हनुमान [2019] 6 एस. सी. आर.

दीन ने यह भी स्वीकार किया कि वादी-उत्तरदाताओं के पिता पट्टेदार थे और पट्टा-पट्टा मूल रूप से बटाई-फसल बंटवारे के आधार पर खेती के लिए निपटान अवधि के दौरान उनके पक्ष में दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई

अदालत के साथ-साथ पहली अपीलीय अदालत ने माना कि पट्टा उत्तरदाताओं के पिता के पक्ष में दिया गया था-समझौते के समय वादी और उन्हें मूल पट्टेदार माना गया था। निचली अदालत ने मुद्दा संख्या 2 (ए) का फैसला करते हुए कहा कि प्रतिवादियों के पिता के नाम पर पट्टे का अनुदान-समझौते में वादी का अपीलकर्ता प्रतिवादियों द्वारा खंडन नहीं किया गया है। निचली अदालत के निष्कर्षों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कि प्रतिवादी के पिता के पक्ष में पट्टा दिया गया था-वादी, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-वादी ने प्रस्तुत किया कि यह स्वीकार करने के बराबर है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के संदर्भ में, स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। नागिंदास रामदास बनाम पर निर्भरता रखना। दलपतराम इच्छाराम उर्फ बृजराम और अन्य (1974) 1 एस. सी. सी. 242 और कार्यकारी अधिकारी, अरुलमिगु चोक्कनाथ स्वामी कोइल ट्रस्ट, विरुधुनगर बनाम। चंद्रन और अन्य (2017) 3 एस. सी. सी. 702, यह प्रस्तुत किया गया था कि पट्टे के अनुदान की स्पष्ट स्वीकृति को देखते हुए

उत्तरदाताओं के पिता का नाम-वादी, उक्त स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

15. साक्ष्य अधिनियम की धारा 58, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वीकार की गई बातों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, की धारा 58 का परन्तुक साक्ष्य अधिनियम न्यायालय को यह अपेक्षा करने का पूरा विवेकाधिकार देता है कि स्वीकार किए गए तथ्यों को इस तरह के स्वीकार के अलावा अन्यथा साबित किया जाए। जब उत्तरदाता-वादी ने अपने अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया है, तो उत्तरदाता-वादी लिखित में कुछ वाक्यों को अलग नहीं कर सकते हैं।

बयान दें और लिखित बयान के केवल उन हिस्सों का लाभ उठाएं जो उनके लिए अनुकूल हों। द्वारा प्रस्तुत लिखित वक्तव्य

अपीलार्थी-प्रतिवादियों को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि लिखित कथन के पैरा सं. (2) में, अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों ने प्रतिवाद किया कि भूमि समझौते के समय राम राज सिंह के स्वामित्व में थी, लेकिन क्योंकि वह स्वयं खेती करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए भूमि प्रत्यर्थियों के पिता-वादियों को बटाई-फसल बंटवारे के आधार पर खेती के लिए दी गई थी। यह भी कहा जाता है कि तत्कालीन हल्केदार ने विवादित भूमि के संबंध में पट्टा रद्द कर दिया था

और उनकी नीलामी की गई जिसमें प्रतिवादियों के पिता गया दीन की बोली स्वीकार कर ली गई और विवादित भूमि को संवत 1986 यानी 1929 ईस्वी में बिक्री में उनके नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि का पट्टा गया दीन के नाम पर जारी किया गया था।

प्रतिवादियों जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर की स्वीकारोक्ति। एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.]

वादी के पिता के पट्टे के बारे में वह पट्टा था जो पहले उत्तरदाताओं के पूर्वजों के पक्ष में दिया गया था। प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में, लिखित बयान में स्वीकार किए जाने के बावजूद, यह साबित करने का भार प्रत्यर्थियों-वादियों पर है कि पट्टा पट्टा उनके पक्ष में बना हुआ है और वे पट्टा के धारक हैं और वे मुकदमे की संपत्तियों के निरंतर कब्जे में हैं।

16. अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-1 ने कहा कि उनके पिता सूट की स्थापना से लगभग चालीस साल पहले जबलपुर चले गए थे। में हालाँकि, पी. डब्ल्यू.-1 ने इस सुझाव का खंडन किया कि जब उनके पिता जबलपुर के लिए रवाना हुए, तो उन्होंने विवादित भूमि पवईदार को सौंप दी और संबंधित समय पर सभी अभिलेख इलाकेदार द्वारा रखे गए थे।

पीडब्लू-1-विश्वनाथ और पीडब्लू-2-राम गोपाल के बयान से यह स्पष्ट है कि विश्वनाथ के पिता ने मुकदमा शुरू होने से चालीस साल पहले जबलपुर में रहना शुरू किया था और वहां बस गए थे। के प्रकाश में

साक्ष्य के साथ, निचली अदालत ने प्रतिवादियों के मामले को सही ढंग से स्वीकार कर लिया कि संवत 1986 (1929 ईस्वी) में, पवईदार द्वारा सूट भूमि और अन्य भूमि के पट्टे के लिए आयोजित नीलामी में, गया दिन की बोली स्वीकार कर ली गई थी और अन्य भूमि के साथ सूट संपत्तियों को गया दिन को पट्टे पर दिया गया था। हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के प्रस्तुतिकरण में सार पाते हैं कि यदि प्रतिवादियों-वादियों के पिता द्वारा भूमि को इस तरह से नहीं छोड़ा गया होता, तो पवईदार के लिए वाद भूमि के पट्टे की नीलामी करना संभव नहीं होता और

गया दिन के पक्ष में भूमि का पट्टा प्रदान करना। 17. अपीलार्थियों का मामला-प्रतिवादी कि संवत 1986 (1929 ईस्वी) में, पवईदार द्वारा सूट भूमि और अन्य के पट्टे के लिए आयोजित नीलामी में

भूमि, मुकदमे की संपत्तियों के साथ-साथ अन्य भूमि गया दिन को पट्टे पर दी गई थी, जो राजस्व रिकॉर्ड और पर्याप्त सबूतों से मजबूत होती है। पवईदार ने गया दिन को पट्टा देने के संबंध में प्रविष्टियों को मंजूरी दी सरकारी अभिलेखों में किया गया। अपीलार्थी-प्रतिवादियों ने अपना पट्टा-पूर्व प्रस्तुत किया। डी-20 जिसे प्रतिवादी वादियों द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है (उदा। पी-21)। Ex. डी-20, माननीय श्री राय साहेब चुरहाट, हल्का पटवाड़ी संख्या 1, क्षेत्र के आदेश के अनुसार पट्टा कश्टकारी है।

चुरहाट, राज्य रीवा, स्थान मौजा कोथर, संवत 1986 में गया दिन के नाम पर कृषि उद्देश्य के लिए दी गई सूट संपत्तियों के लिए किसान/कृषक के रूप में। पूर्व से। डी-20, यह देखा गया है कि तहसीलदार आदेश No.146/1960 दिनांक 21.11.1960 के अनुसार, पवईदार को [2019] 6 एस. सी. आर. की अनुमति दी गई है।

सरकारी धारावाहिक में प्रवेश करें। तहसीलदार के आदेश के अनुसार, पवई खसरा में उसी के अनुसार प्रवेश किया गया है जैसा कि से स्पष्ट है

एक्स. डी.-20 में दिनांक 10.01.1961 वाले पटवारियों द्वारा किया गया समर्थन।

18. Ex. गया दिन के पक्ष में डी-20-पट्टा वर्ष 1929 में इलाकेदार द्वारा गया दिन को वैध रूप से प्रदान किया गया था। उक्त दस्तावेज जारी किए गए

तहसीलदार द्वारा अपीलार्थियों की अभिरक्षा से पेश किया गया था। उस पर की सामग्री से पता चलता है कि सरकारी अभिलेखों के अनुसार, भूमि गया दीन को दी गई थी। दस्तावेज़ तीस साल से अधिक पुराने होने के कारण, निचली अदालत ने पूर्व-डी-20-पट्टा को सही माना। यह तब उत्तरदाताओं पर निर्भर था कि वे अनुमान का खंडन करें। प्रतिवादियों-वादियों द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया है।

19. Ex. डी-20 तीस साल पुराना दस्तावेज होने के कारण इसकी वास्तविकता के बारे में अनुमान को जन्म देता है। प्रत्यर्थियों का तर्क-वादी यह है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 का पूर्व के लिए कोई आवेदन नहीं है। डी-20 और दस्तावेज़ की सामग्री की वास्तविकता के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 अदालत को दस्तावेज़ की वास्तविकता के बारे में अनुमान लगाने में सक्षम बनाती है जो तीस साल पुराना है। धारा 90 में कहा गया है कि अदालत यह "मान सकती है" कि दस्तावेज़ वास्तविक है। चूंकि गया दिन के पक्ष में दिया गया पट्टा संवत 1986 (1929 ईस्वी) का है जो तीस साल से अधिक पुराना है, इसलिए धारा 90 दस्तावेज़ की प्रामाणिकता के बारे में अनुमान लगाती है। बस। धोखाधड़ी के आरोप साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उठाए गए अनुमान का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

20. प्रत्यर्थियों-वादियों ने कई वर्षों के खसरा की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। हालाँकि, वर्षों के लिए केवल खसरा की प्रतियाँ

और हनुमान दीन लगातार संपत्तियों के कब्जे में थे। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों द्वारा स्थापित किया जाता है।

21. वादी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1952-53 (Ex. P.-2) के लिए खतौनी के अवलोकन से, यह देखा जाता है कि अपीलार्थी-प्रतिवादी वर्ष 1950-51 से 1954-55 (Ex. पी-8)

जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.]

और उसके बाद, बाद के खसरा 1960-61 आगे। अपीलार्थियों के नाम-प्रतिवादियों का खसरा 1950-51 से 1954-55 में उल्लेख किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण विंध्य प्रदेश जागीरों का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1952 (विंध्य प्रदेश अधिनियम) 30.07.1953 पर लागू हुआ। Ex. डी-20 (उदा. पी-21)-पट्टा अपीलार्थियों के पूर्ववर्तियों के पक्ष में दिया गया था-प्रतिवादी अर्थात् गया दिन द्वारा

रीवा राज्य मालगुजारी और कशतकारी अधिनियम, 1935 (रीवा भूमि राजस्व और किरायेदारी अधिनियम, 1935) की धारा 44 के तहत पवईदार। पूर्व का उल्लेख करने के बाद। डी-20, ट्रायल कोर्ट ने सही निर्णय दिया कि पवईदार को पट्टा और वह पट्टा जारी करने का अधिकार था (उदा। डी-20) अधिनियम की धारा 141 के तहत जारी किया गया था। अतः विचारण न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि पट्टा (उदा. डी-20) वैध है और यह कि अपीलकर्ता-प्रतिवादियों ने साबित कर दिया है कि भूमि का पट्टा कानूनी रूप से इलाकीदार द्वारा इसके पक्ष में दिया गया था

उन्हें यह अनुमति दी गई थी कि वे कई वर्षों से मुकदमे की संपत्तियों के कब्जे में हैं। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि उत्तरदाताओं के पिता-वादियों ने मुकदमे की संपत्तियों को छोड़ दिया है, जिसके अनुसार, नीलामी पवईदार द्वारा आयोजित की गई थी और गया दीन के पक्ष में पट्टा इलाकीदार द्वारा जारी किया गया था और यह कि वह मुकदमे की संपत्तियों के निरंतर कब्जे में था।

23. शिकायत में, उत्तरदाताओं/वादियों ने आरोप लगाया है कि

Ex. डी-20 पट्टा जालीदार पट्टा होता है। अभियोग के पैरा सं. (4) में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों/वादियों के पिता की जानकारी के बिना, प्रतिवादियों के पिता गया दीन को अवैध तरीकों से इलाखा चुरहाट से पट्टा मिला और गया दीन कभी भी संपत्तियों के कब्जे में नहीं रहा। द. उत्तरदाता-वादी ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है कि पूर्व। डी-20 जाली है। एक स्थान पर वादियों ने कहा कि वादियों और उनके पिता की जानकारी के बिना, गया दीन विवादित भूमि को अवैध माध्यमों से पट्टा प्राप्त करने में सफल रहा। जबकि पैरा सं. (5) में, प्रत्यर्थियों-वादियों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज़ जाली है। वास्तव में, जैसा कि पहले बताया गया है, प्रत्यर्थियों ने स्वयं अपीलार्थियों के पक्ष में दिया गया पट्टा दायर किया है

अभियुक्त। यह ध्यान देने योग्य है कि विश्वनाथ ने गाँव बैरथ में स्थित भूमि संख्या 41,131,162,163 और 164 के संबंध में क्षेत्र (पट्टा) के निरीक्षण के लिए एक आवेदन दिया था। कलेक्टर ने [2019] 6 एस. सी. आर. का आह्वान किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार (पूर्व। पी-3), हालांकि राम सहाय और रामेश्वर के नाम उक्त भूमि के मालिकों के रूप में दर्ज पाए गए हैं, उपरोक्त भूमि संख्या का पट्टा इल्लाका गया दिन के नाम पर पंजीकृत पाया गया। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा जारी आदेश No.146/1960 दिनांक 21.11.1960 के माध्यम से दिए गए पट्टा के संबंध में प्रविष्टि को संदर्भित करती है। यह संबंधित द्वारा खसरा में की गई प्रविष्टि को भी संदर्भित करता है। याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती हनुमान दीन के कब्जे में आई. डी. 1 पर पतवारिया। Ex. पी-3-राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पट्टा-एक्स। डी-20 गया दिन के पक्ष में दिया गया था।

24. प्रविष्टियाँ जो लगातार अपीलार्थियों के पक्ष में हैं

उत्तरदाताओं के पक्ष में प्रविष्टियों की वरीयता में केवल दो वर्षों के लिए यानी 1955-56 और 1956-57 को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा,

कई मौकों पर राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए निष्कर्षों के आलोक में, उत्तरदाताओं के नाम की उक्त प्रविष्टियों को वास्तविक नहीं कहा जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय पूर्व को दरकिनार करने में सही नहीं थे। पी-21 (एक्स. डी.-20) पट्टा जो अपीलार्थियों के नाम पर दिया जाता है और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे राजस्व की रिपोर्ट

25. Ex. डी-1-आयुक्त का आदेश दिनांक 17.07.1973: अपीलार्थियों के पिता-हनुमान दीन द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में, जिला कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें वादी उत्तरदाताओं-विश्वनाथ, शिव नाथ और जयराम कुमारी के कहने पर गश्ती-खसरा में पादरी द्वारा हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था। 131,151,161,162,163 और 411। का आदेश आयुक्त तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.07.1971 द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करते हैं जिसमें अपीलार्थियों के पिता हनुमान दीन के पक्ष में प्रविष्टियों को बरकरार रखा गया है और वादी-प्रतिवादियों के दावे को खारिज कर दिया गया है। व्यक्तिगत रूप से संबंधित खसराओं को देखने के बाद, तहसीलदार ने कहा कि वादियों के पक्ष में की गई 1963-64 से 1968-69 वर्षों की प्रविष्टियां-उत्तरदाताओं को बाद में किया गया था।

बनाया गया और तहसीलदार ने अग्निश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर के पक्ष में खसरा प्रविष्टियों में सुधार का निर्देश दिया।

एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.]

लांट के पिता। पुनरीक्षण में, कलेक्टर ने उक्त आदेश को बरकरार रखा

इदार दिनांकित 28.07.1971।

26. कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण में, आयुक्त

दिनांक 17.07.1973 के आदेश ने तहसीलदार के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एस. डी. ओ. की दिनांकित 21.10.1969 की रिपोर्ट और के आदेश का अवलोकन किया गया।

एल. डी. आर. दिनांक 28.07.1971, पटवारियों की शरारत इससे भी आगे साबित हुई।

शक की बात है। इन आदेशों को वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।और उन पर बाध्यकारी हैं। आदेश ई-आयुक्त का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

" श्री जगत स्वरूप के दरबार में, आयुक्त रीवा डिवीजन।

रेवा, एम. पी.

तिथि 17.07.1973

मामला No.52/A. 61/71-73: 2. निचली अदालतों के अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि एन. ए. हनुमान ने कलेक्टर सीधी के समक्ष दिनांक 19.09.1969 पर एक आवेदन दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि खसरा संख्या के संबंध में गश्ती-खसरा में पटवारियों द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। 131 , 151 , 161 , 162 , 163 और गाँव बैरथ, तहसील गोपदबनस के 41। आवेदन एसडीओ को भेजा गया था

सुधार का आदेश देने से पहले (ऑर्डर शीट दिनांकित 23.10.1969)। तहसीलदार ने जांच की और दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य के आधार पर वर्ष 1963-64 से 1968-69 के लिए खसरा प्रविष्टियों को सुधारने का आदेश दिया। 28.07.1971 . एस. डी. ओ. की दिनांकित 21.10.1969 रिपोर्ट और दिनांकित 28.07.1971 तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि पटवारियों की शरारत संदेह की छाया से परे साबित हुई थी। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को प्रशासनिक प्रकृति का माना जाना चाहिए और इसे एम. पी. भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत अलग नहीं किया जा सकता है।

3. जहाँ तक एम. पी. भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत वर्तमान कार्यवाही का संबंध है, वे झूठ नहीं बोलते हैं।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रशासनिक रूप से, मैं तहसीलदार द्वारा पारित दिनांकित 28.07.1971 आदेश को बरकरार रखता हूं, क्योंकि यह अनुपलब्ध तर्क पर आधारित है। आखिरकार, पटवारियों को किसानों के भाग्य का अंतिम मध्यस्थ नहीं बनाया जा सकता है।

आयुक्त के उपरोक्त आदेश और रिपोर्ट से

अन्य राजस्व प्राधिकरण, यह स्पष्ट है कि वादी-उत्तरदाताओं ने पटवारियों की मिलीभगत से राजस्व प्रविष्टियों में अंतर्वेशन किया है

और उनके नाम पर राजस्व प्रविष्टियाँ दर्ज कराई। उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आयुक्त के पूर्व-डी-1 आदेश पर अपने उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं करने में गलती की।

27. अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए दायर आवेदनः - द.

सवाल यह उठ सकता है कि यद्यपि राजस्व प्राधिकरणों के समक्ष विभिन्न कार्यवाहियों में आदेशों की संख्या पारित की गई थी, फिर भी क्यों उत्तरदाता-वादी ने उसे तब और वहाँ चुनौती नहीं दी है। वास्तविक तथ्य यह है कि प्रत्यर्थियों-वादियों ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को चुनौती दी और हार गए। दुर्भाग्य से, वे दस्तावेज अपीलार्थियों-प्रतिवादियों द्वारा नीचे की अदालतों में दायर नहीं किए गए हैं। इस न्यायालय के समक्ष,

अपीलकर्ता-प्रतिवादियों ने तीन अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया है जो नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 01.09.1962, तहसीलदार का दिनांक 28.07.1971 और कलेक्टर का दिनांक 21.11.1972 का आदेश है। तीन दस्तावेज जो अपीलार्थियों के अनुसार

प्रासंगिक हैंः

एस. नं.

टिप्पणि

यां

दस्तावेज़

01.09.1962 - नायब द्वारा पारित आदेश

याचिका खारिज कर

दी गई।

1 .

तहसीलदार, गोपद बनास द्वारा दायर मुकदमे में

यह मानते हुए कि पट्टा

का

शिवनाथ, राम सहाय और शिवनाथ के पुत्र,

भूमि जारी की गई थी

तहसीलदार के पक्ष में

धारा 250 के तहत रामेश्वर का पुत्र

गयादीन के पिता

एम. पी. भूमि राजस्व संहिता, 1959

अपीलार्थी-प्रतिवादी।

28.07.1971 - तहसीलदार का आदेश, गोपद

2 .

सिविल सूट में बनास No.26 A74/70-71

गयादीन के पुत्र हनुमान द्वारा दायर किया गया मुकदमा

कलेक्टर का आदेश,

3 .

21.11.1972

जिला सिद्दी

प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय अदालत जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक स्पष्ट प्रतिबंध है।

एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.]

आदेश एक्सएलआई नियम 27 सीपीसी के तहत बताई गई परिस्थितियों के अधीन और अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन में ऐसी कोई परिस्थिति निर्धारित नहीं की गई है। यह प्रस्तुत किया गया था कि लिखित कथन में उस प्रभाव का कोई अभिवचन नहीं था और यदि अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है तो यह लगभग उनतालीस वर्षों के बाद दायर किए गए मुकदमे के नए सिरे से परीक्षण के बराबर होगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जब ये दस्तावेज न तो निचली अदालत में और न ही पहली अपीलीय अदालत के समक्ष और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए थे, तो सर्वोच्च न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में दायर किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं कर सकता है। उनके समर्थन में

इस तर्क के साथ, विद्वान वरिष्ठ वकील ने करेवा और अन्य बनाम पर भरोसा किया। हुसैनसब खानसाहब वजंत्री और अन्य (2002) 10 एस. सी. सी. 315 और रूप चंद बनाम। गोपी चंद थेलिया (1989) 2 एस. सी. सी. 383 और अन्य निर्णय।

28 आदेश एक्स. एल. आई. नियम 27 सी. पी. सी. के तहत अतिरिक्त उत्पादन

साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, की अनुमति केवल तीन परिस्थितियों में दी जाती है जो हैं: (I) जहां विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, हालांकि उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था; (II) उचित परिश्रम करने के बावजूद पक्षकार के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं था; और (III) अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता थी ताकि वह निर्णय देने में सक्षम हो सके या समान प्रकृति के किसी अन्य ठोस कारण के लिए। अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि अपीलार्थी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में मेहनती नहीं था। निचली अदालत। हालांकि, न्याय के हित में और जब संतोषजनक कारण दिए जाते हैं, तो अदालत अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त कर सकती है।

29. भारत संघ में v. इब्राहिम उद्दीन और एक अन्य, (2012) 8 एस. सी. सी. 148, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 36. सामान्य सिद्धांत यह है कि अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत के रिकॉर्ड से बाहर नहीं जाना चाहिए और कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपील में साक्ष्य। हालांकि, एक अपवाद के रूप में, आदेश 41 नियम 27 सी. पी. सी. अपीलीय अदालत को असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य लेने में सक्षम बनाता है। अपीलीय न्यायालय अनुमति दे सकता है

अतिरिक्त साक्ष्य केवल और केवल तभी जब इस नियम में निर्धारित शर्तें मौजूद पाई जाती हैं। पक्षकारों को इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार, प्रावधान लागू नहीं होता है, जब अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, अपीलीय न्यायालय संतोषजनक निर्णय दे सकता है। मामला पूरी तरह से अदालत के विवेक के भीतर है और इसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए।

एक विवेकाधिकार केवल एक न्यायिक विवेकाधिकार है जो

नियम में ही निर्दिष्ट सीमा। (के. वेंकटरमैया बनाम। ए. सीताराम रेड्डी ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1526, नगर निगम।

37. अपीलीय न्यायालय को आम तौर पर नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ताकि कोई पक्ष इस मामले में एक नया मुद्दा उठा सके। अपील करें। इसी तरह, जहां एक पक्ष जिस पर एक निश्चित बिंदु को साबित करने की जिम्मेदारी है, वह दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक नए अवसर का हकदार नहीं है, जैसा कि अदालत, ऐसे मामले में, उसके खिलाफ निर्णय सुना सकती है और उसे निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। (वीडियो हाजी

मोहम्मद इशाक बनाम। मोहम्मद. इकबाल और मोहम्मद। अली एंड कंपनी (1978) 2 एस. सी. सी. 493)

40. पक्ष की असावधानी या इसमें शामिल कानूनी मुद्दों को समझने में उसकी असमर्थता या किसी वकील की गलत सलाह या किसी वकील की लापरवाही या कि पक्ष को इसका एहसास नहीं था

किसी दस्तावेज़ का महत्व इस नियम के अर्थ के भीतर एक "महत्वपूर्ण कारण" का गठन नहीं करता है। केवल यह तथ्य कि कुछ साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, यह स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि

अपील में साक्ष्य "।

" 47. जहां प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया अतिरिक्त साक्ष्य मामले पर संदेह के बादल को दूर करता है और साक्ष्य का मुकदमे में मुख्य मुद्दे पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण संबंध है और न्याय के हित में स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य है कि इसे रिकॉर्ड पर अनुमति दी जा सकती है, ऐसे आवेदन की अनुमति दी जा सकती है।

30. आयुक्त का दिनांकित 17.07.1973 का आदेश तहसीलदार के दिनांकित 28.07.1971 के आदेश और दिनांकित 21.10.1969 की एस. डी. ओ. की रिपोर्ट को भी संदर्भित करता है। हम अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में तहसीलदार का दिनांकित 28.07.1971 का आदेश प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। तहसीलदार के समक्ष दायर सिविल सूट No.26A74/70-71 में दिनांक 28.07.1971 के तहसीलदार के आदेश से, यह देखा जाता है कि हनुमान दीन-आवेदक ने कलेक्टर, सीधी के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया था कि वह गाँव बैरथ की भूमि संख्या 131,151,161,162,163,41 का भूमि मालिक-कृषक है और जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर रहा है।

एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.]

यह कि गैर-आवेदकों (विश्वनाथ, शिव नाथ और जयराज कुमारी) ने श्री बंश बहादुर सिंह, पटवारियों की मिलीभगत से राजस्व प्रविष्टियों में अपने नाम दर्ज कराए और उनके लिए प्रार्थना की प्रविष्टियों का सुधार। एस. डी. ओ. से एक रिपोर्ट बुलाई गई जिसने एक विस्तृत जांच की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एस. डी. ओ. की दिनांक 1 की ऐसी जांच और रिपोर्ट के आधार पर, तहसीलदार ने अभिनिर्धारित किया कि भूमि संख्या 41,131,162,163 के संबंध में गैर-आवेदकों (विश्वनाथ, शिव नाथ, जयराज कुमारी) के कब्जे के संबंध में प्रविष्टि बाद में की गई पाई गई और निम्नानुसार अभिनिर्धारित की गईः

" 9. जहां तक वर्ष 1968-69 के लिए या उससे पहले की खसरा प्रविष्टियों में सुधार का संबंध है, पैरा 8 के अनुसार आवेदन की अनुमति है और इसलिए, उपरोक्त वर्षों के बाद के वर्षों के संबंध में विवाद के बारे में सवाल बिल्कुल भी नहीं उठता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से 1963-64 से 1967-68 तक खसरा का अध्ययन किया है।
और मैंने पाया कि खसरा के कॉलम संख्या 12 में भूमि से संबंधित प्रविष्टियों के अलावा, "विश्वनाथ, शिवनाथ कुर्मी, आर/ओ देह 41/1.39" विशेष रूप से बाद में की गई प्रतीत होती है। इस प्रकार, यह साबित होता है कि भूमि के संबंध में गैर-आवेदक विश्वनाथ, शिवनाथ और जयराज कुमरी के कब्जे के संबंध में प्रविष्टि No.41,151,162 और

163 यह बाद में साबित हुआ है "।

" 10. अब, यह देखा जाना चाहिए कि विवादित वर्षों से पहले विवादित भूमि किसके कब्जे में थी। इस संबंध में किसी भी पक्ष ने कोई सबूत पेश नहीं किया है। इसलिए न्याय के हित में, मैंने वर्ष 1962 63 के लिए खसरा की मांग की है और इसे देखा है और फिर भूमि संख्या 131 के अलावा, गैर-आवेदक उपरोक्त भूमि के कब्जे में नहीं पाए गए हैं।

ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में विवाद पैदा करने के इरादे से पटवारियों ने

इस प्रकार, भूमि पर आवेदकों के कब्जे के संबंध में वर्ष No.41,151,161,162 और 163 के लिए प्रविष्टियों को गैर-आवेदकों के स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए। वर्ष 1962-63 के लिए प्रविष्टियों का आधार।

31. वादी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह तर्क देते हुए कड़ी आपत्ति जताई कि [2019] 6 एस. सी. आर. का उक्त आदेश।

32. आयुक्त का दिनांकित 17.07.1973 का आदेश तहसीलदार के दिनांकित 28.07.1971 के आदेश का संदर्भ देता है जो बदले में वादी के पूर्ववर्तियों द्वारा दायर मुकदमे को संदर्भित करता है-प्रतिवादी एमपी कोड की धारा 250 के तहत जिसमें वादी-प्रतिवादी थे गया दिन/हनुमान दिन के पक्ष में पट्टे को चुनौती देने में असफल। यह दस्तावेज़ नीचे दिए गए न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था और अब केवल अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, हम इस दस्तावेज़ को अतिरिक्त सबूत के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं। हमारे सुविचारित विचार में, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय आयुक्त (भूतपूर्व) के आदेश में अभिलिखित स्पष्ट निष्कर्षों पर विचार नहीं करने में त्रुटि में पड़ गए। डी-1) कि वादी-उत्तरदाताओं को मिला

राजस्व अभिलेखमे पटवारिक संग मिलिकऽ दर्ज कयल गेल अछि आ पटवारिकेँ गम्भीर दुराचारक दोषी मानल गेल अछि।

जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.]

33. सीमाः - प्रत्यर्थियों का मुकदमा मालिकाना हक की घोषणा और वाद भूमि के परिणामी कब्जे की राहत के लिए था। मुकदमा 17.10.1975 पर स्थापित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि मुकदमा निराशाजनक रूप से प्रतिबंधित है क्योंकि उनके अनुसार, कार्रवाई का कारण पहली बार वर्ष 1929 में उत्पन्न हुआ, जब अपीलकर्ताओं के दादा गया दिन के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था और फिर वर्ष 1935 में, जब रीवा के महाराजा द्वारा अधिनियम लागू किया गया था और फिर वर्ष 1952 में, जब जागीरदारी को समाप्त कर दिया गया था और हनुमान दिन जागीरदार के बजाय राज्य का किरायेदार बन गया था और अंत में 02.11.1960 पर, जब तहसीलदार द्वारा हनुमान दिन का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया था। के द्वारा

धारा 145 कार्यवाहियों में उप-मंडल मजिस्ट्रेट के आदेश की तिथि। चूँकि हमने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विस्तार से विचार किया है, इसलिए हम सीमा के प्रश्न में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। 34. प्रत्यर्थियों का मामला-वादी का कहना है कि विंध्य प्रदेश जागीर और भूमि सुधार उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अनुसार,

35. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि 1929 में रीवा राज्य में कोई संहिताबद्ध राजस्व कानून नहीं था। 1935 में, रीवा के महाराजा ने रीवा भूमि राजस्व और किरायेदारी की घोषणा की। अधिनियम, 1935। रीवा अधिनियम की धारा 2 ने पिछली सभी सरकारों को निरस्त कर दिया

नोटिस, नियम, परिपत्र, आदेश, अधिसूचना आदि जो उक्त अधिनियम से असंगत हैं; लेकिन उसके तहत की गई कार्रवाई को बचा लिया। इस प्रकार, उक्त अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई जैसे पट्टा अनुदान आदि को बचाया गया। अपीलार्थियों-प्रतिवादियों का मामला यह है कि रीवा अधिनियम की धारा 2 के आधार पर गया दिन को पट्टा देने से बचा लिया जाता है। यह भी उनका मामला है कि रीवा अधिनियम की धारा 3 ने मौजूदा कार्यवाही और [2019] 6 एस. सी. आर. के पिता को बचा लिया।

प्रत्यर्थी अपीलार्थियों के खिलाफ रीवा अधिनियम की धारा 46 और 142 के तहत कार्रवाई कर सकते थे। हालाँकि, उन्होंने अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। 1948 में, रीवा राज्य भारत में शामिल हो गया और विंध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। 1952 में, विंध्य प्रदेश राज्य ने विंध्य प्रदेश जागीर और भूमि सुधार उन्मूलन अधिनियम, 1952 द्वारा जागीरदारी की प्रणाली को समाप्त कर दिया। विंध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 26 के तहत, अपीलकर्ताओं के पिता हनुमान दीन जागीरदार के स्थान पर राज्य के प्रत्यक्ष किरायेदार बन गए और अधिनियम की धारा 28 के तहत, वे एक पट्टेदार-किरायेदार बन गए।

36. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती विंध्य प्रदेश राज्य विशाल मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। इसके बाद

जिसके लिए, मध्य प्रदेश राज्य ने एम. पी. भूमि राजस्व संहिता, 1959 (एम. पी. संहिता) अधिनियमित की, जिसके तहत अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती हनुमान दीन विंध्य प्रदेश में एक पट्टेदार-किरायेदार थे, जिनके कब्जे में भूमि, एम. पी. संहिता की धारा 158 (1) (डी) (आई) के तहत उनकी भूमिस्वामी बन गई। धारा 109 के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद

एम. पी. संहिता की धारा 110 में उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था।

37. निचली अदालत ने सही निर्णय दिया कि विवादित भूमि इलाका की थी और पवईदार को इन प्रावधानों के तहत अधिकार दिया गया था -

उक्त पट्टा जारी करने के लिए रीवा अधिनियम की धारा 44 (उदा. डी-20)। रीवा भूमि राजस्व और किरायेदारी अधिनियम, 1935 की धारा 44 इस प्रकार हैः

" 44. पट्टाओं का सम्मेलन-(1) कोठार गाँव में, निम्नलिखित

राजस्व अधिकारी पट्टा प्रदान करने के लिए अधिकृत हैंः

(2) एक पवई में, निम्नलिखित व्यक्ति पट्टा प्रदान कर सकते हैंः

(क) समझौते के संशोधन पर-निपटान अधिकारी और सहायक निपटान अधिकारी,

कब्जे में एक बंधक;

कब्जे में एक बंधक;

अपने पर्यवेक्षण के तहत भूमि में वार्डों का न्यायालय;

पावाई या सब-पावाई में आजीवन रुचि रखने वाली विधवा;

99 जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.]

38. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-वादी

उन्होंने कहा कि हनुमान दीन (डी. डब्ल्यू. 1) के साक्ष्य पर विचार करने पर, पहली अपीलीय अदालत ने इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया कि वर्ष 1954 में गया दीन (प्रतिवादियों के पिता) के पक्ष में पट्टा दिया गया था और हनुमान दीन (डी. डब्ल्यू.-1) की गवाही के अनुसार, जब पट्टा जारी किया गया था, तब हनुमान दीन 35 वर्ष के थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि के आधार पर

हनुमान दिन के साक्ष्य, पहली अपीलीय अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि वर्ष 1954 में गया दिन के पक्ष में पट्टा दिया गया था, उस समय तक पवई की परंपरा को हटा दिया गया था और इसलिए, पट्टा

गया दिन के पक्ष में दिया जाना वैध नहीं है। पहला अपीलीय न्यायालय उचित तथ्यों के बिना इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा और एक निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि जब 1984 में डी. डब्ल्यू.-1 की जांच की गई थी, तो वह 65 वर्ष का था, जिससे पहले अपीलीय न्यायालय ने अनुमान लगाया कि डी. डब्ल्यू.-1 का जन्म 1919 में हुआ होगा। डी. डब्ल्यू.-1 के इस कथन का उल्लेख करते हुए कि जब पट्टा जारी किया गया था, उनकी आयु 35 वर्ष थी, पहली अपीलीय अदालत ने अनुमान लगाया कि पट्टा 1954 में जारी किया गया होगा (डी. डब्ल्यू.-1 का जन्म 1919 + 35 = 1954 में हुआ था) और उस समय तक पवई की प्रणाली को हटा दिया गया था। इस संबंध में,

प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-वादी ने प्रस्तुत किया कि विंध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, सभी जागीर भूमि को तत्कालीन विंध्य प्रदेश सरकार में 23.06.1953 पर फिर से शुरू किया गया था, इसलिए, इस तारीख को, पवईदार/इलाकेदार/जागीरदार अधिकृत नहीं थे और पट्टा जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसलिए, पहली अपीलीय अदालत का निष्कर्ष कि वर्ष 1954 में गया दिन के नाम पर जारी किया गया पट्टा वैध नहीं है और तथ्य के उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

39. पहली अपीलीय अदालत का यह निष्कर्ष कि 1954 में गया दीन को पट्टा दिया गया था और इलाकीदार पट्टा जारी करने में सक्षम नहीं था, गलत धारणा है। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, गया दिन को पट्टा 1954 में नहीं, बल्कि संवत 1986 (1929 ईस्वी) में दिया गया था, जब माना जाता है कि इलाकेदार के पास ऐसी शक्ति थी। इसके अलावा, इस प्रकार दिए गए पट्टा की वैधता का निर्धारण डी. डब्ल्यू.-1-हनुमान दिन की आयु के आधार पर नहीं किया जा सकता है। की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलकर्ताओं ने विंध्य प्रदेश अधिनियम के प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और प्रस्तुत किया है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा जागीर भूमि के किसी भी वर्ग को फिर से शुरू करने के लिए एक तारीख निर्धारित की है और इस तरह के फिर से शुरू होने के परिणाम उक्त अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित किए गए हैं। हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के प्रस्तुत करने में सार पाते हैं कि धारा 28 [2019] 6 एस. सी. आर. के संदर्भ में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त अधिनियम के, अपीलार्थी जो तब तक के किरायेदार थे उक्त भूमि के संबंध में मध्यस्थ/जागीरदार को पट्टेदार किरायेदार माना जाएगा। विंध्य प्रदेश जागीर और भूमि सुधार उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 28 इस प्रकार हैः

28. भूमि के कुछ अधिभोगियों को पट्टेदार किरायेदार होना चाहिए। – (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जो

पुनः प्रारंभ होने की तिथि पर किसी भी जागीर-भूमि पर कब्जा करने वाले के रूप में तीन साल की निरंतर अवधि के लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई, ऐसी भूमि के संबंध में पट्टेदार किरायेदार माना जाएगा।

जिसका मूल्यांकन गाँव की दर पर किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी किसी भी सर या खुदकश्त भूमि पर लागू नहीं होगा जो धारा 22 या किसी अन्य के तहत जागीरदार को आवंटित की गई है।

उपवन भूमि जिसका अधिकार जागीरदार रखने का हकदार है

धारा 7 के खंड (सी) के तहत।

उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पहली अपीलीय अदालत ने यह कहते हुए गलती की कि गया दिन के पक्ष में पट्टा वर्ष 1954 में दिया गया था और उस समय तक, पवईदार/इलाकेदार के पास पट्टा जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

40. रीः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष निकालनाः का स्वामित्व

उत्तरदाताओं को कानूनी तरीके से समाप्त नहीं किया गयाः - पहली अपीलीय अदालत ने कहा कि रामेश्वर और राम सहाय के स्वामित्व को कानूनी तरीके से समाप्त नहीं किया गया था और इसलिए, उन्हें मुकदमे की संपत्तियों के मालिकों के रूप में माना जाना चाहिए। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि रामेश्वर और राम सहाय के स्वामित्व को कानूनी तरीके से समाप्त नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किए गए पट्टा विलेख-एक्स. डी.-20 को एक सिद्ध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है और उन निष्कर्षों पर, निचली अदालत के इस निष्कर्ष को खारिज कर दें कि प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि के स्वामित्व का कानूनी अधिकार है। सबसे पहले

अपीलीय न्यायालय, हमारे विचार में, पूर्व की शुद्धता पर संदेह करने में सही नहीं था। डी-20 और यह अवलोकन करना सही नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि पर स्वामित्व का कानूनी अधिकार नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आयुक्त के दिनांक 17.07.1973 के पूर्व-D-1 आदेश और दिनांक 28.07.1971 के तहसीलदार के आदेश और गया दीन के नाम पर पट्टा/पट्टा के अनुदान और गया दीन और उसके बेटे-हनुमान दीन और अपीलार्थियों के निरंतर कब्जे को दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया।

पहला अपीलीय न्यायालय और जगदीश प्रसाद पटेल (मृत) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। वी. शिवनाथ और ओआरएस। [आर. भानुमति, जे.]

उच्च न्यायालय ने दर्ज किए गए निष्कर्षों को दरकिनार करने में गलती की राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियाँ करने में पटवारियों के कदाचार के बारे में आयुक्त ने 17.07.1973 दिनांकित किया।

प्रतिवादियों-अपीलार्थियों के मामले की कमजोरी पर। भार वादी-उत्तरदाताओं पर है कि वे मुकदमे की संपत्तियों पर अपना अधिकार स्थापित करें ताकि यह दिखाया जा सके कि वे घोषणा के लिए एक डिक्री के हकदार हैं। वादी उत्तरदाताओं ने न तो स्वामित्व दस्तावेज यानी पट्टा प्रस्तुत किया है, जिस पर वादी-उत्तरदाता भरोसा कर रहे हैं और न ही कोई अन्य सबूत पेश करके अपना अधिकार साबित किया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राजस्व प्रविष्टियाँ उनके द्वारा भरोसा किए जाने को भी वास्तविक नहीं माना जाता है। किसी भी मामले में, कुछ खतौनियों के लिए राजस्व प्रविष्टियां स्वामित्व का प्रमाण नहीं हैं; बल्कि केवल राजस्व उद्देश्य के लिए बयान हैं। वे अपनी उपाधि साबित करने के लिए उन पर निर्भर पार्टी को कोई अधिकार या उपाधि प्रदान नहीं कर सकते हैं। यह देखते हुए कि अधिकार की घोषणा के लिए एक मुकदमे में, वादी-उत्तरदाताओं को केवल अपने स्वयं के अधिकार के बल पर सफल होना है, चाहे वे प्रतिवादी हों या नहीं।

अपीलार्थियों ने भारत संघ और अन्य बनाम में अपना मामला साबित किया है या नहीं। वासवी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और अन्य (2014) 2 एस. सी. सी. 269, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 15. यह तुच्छ कानून है कि स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमे में, इस तरह की घोषणा देने के लिए एक स्पष्ट मामला बनाने और स्थापित करने का बोझ हमेशा वादी पर होता है और प्रतिवादियों द्वारा स्थापित मामले की कमजोरी, यदि कोई हो, तो उसे स्वीकार करने का आधार नहीं होगा।

वादी को राहत। ”

42. साक्ष्य के मूल्यांकन पर, निचली अदालत ने विभिन्न मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं जिन्हें पहले अपील द्वारा उलट दिया गया था

अदालत। चूंकि पहले अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उलट दिया था, इसलिए दूसरी अपील में उच्च न्यायालय को साक्ष्य और सामग्री पर विचार करना चाहिए था। प्रथम के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश

अपीलीय न्यायालय मुख्य रूप से इस आधार पर है कि प्रतिवादी वादियों को दिए गए पट्टा को छोड़ने या रद्द करने के किसी भी आदेश के अभाव में, अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में पट्टा (उदा. 20) का अनुदान अवैध था। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने 1929 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थियों के पूर्वजों के पक्ष में दिए गए पट्टा (Ex. D.-20) और राजस्व निरीक्षक [2019] 6 एस. सी. आर. की रिपोर्ट की सराहना नहीं की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांकित 05.10.1969। प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने आयुक्त के दिनांक 17.07.1973 के पूर्व-डी-1 आदेश और दिनांक 21.10.1969 की एसडीओ की रिपोर्ट और अन्य राजस्व अभिलेखों पर विचार नहीं किया, जिसमें दिखाया गया है कि अपीलार्थियों के पूर्वज-प्रतिवादी अर्थात् गया दिन को पट्टा (पूर्व-डी-20) दिया गया था और तब से, गया दिन और हनुमान दिन।

संपत्तियों के कब्जे में थे। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री की उचित रूप से सराहना नहीं की है और विवादित निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है।

43. परिणामस्वरूप, 1989 की दूसरी अपील No.174 दिनांक 05.02.2007 में उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है और यह अपील है अनुमति दी गई। प्रतिवादियों द्वारा दायर मुकदमा No.68-A/75-वादी है

खारिज कर दिया जाएगा और निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी